

विदेश मंत्री एवं
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
भारत



Minister of External Affairs &
Overseas Indian Affairs
India

सुषमा स्वराज
Sushma Swaraj

संदेश

मुझे अत्यन्त खुशी है कि विदेश मंत्रालय तथा इसका अधीनस्थ कार्यालय- 'केंद्रीय पासपोर्ट संगठन'- 24 जून, 2014 को द्वितीय 'पासपोर्ट सेवा दिवस' मना रहा है। इस अवसर पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 तथा पासपोर्ट जारी करने संबंधी इसके समर्थकारी प्रावधानों का स्मरण करना समीचीन होगा। इस अवसर पर, मैं भारत तथा विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले सभी प्राधिकारियों को बधाई देती हूँ।

पासपोर्ट सेवाएं मंत्रालय तथा भारत के नागरिकों के परस्पर सम्पर्क का महत्वपूर्ण माध्यम हैं तथा इन सेवाओं को समयबद्ध, जिम्मेवार व पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से पासपोर्ट सेवा परियोजना के कई पहलुओं में परिवर्तन आया है, फिर भी इस प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने हेतु हमें और कई कार्य करने होंगे तथा आमजनों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु समस्त प्रक्रिया को मानक एवं द्रुत बनाने की भरपूर कोशिश करनी होगी।

वर्तमान सरकार के अधिदेश का एक महत्वपूर्ण आयाम बेहतर अभिशासन है और इसमें सामयिक, कारगर, सुनिश्चित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सेवा सुपुर्दगी शामिल है। सरकार नागरिक-हितैषी प्रशासनिक सुधारों को लागू करने तथा प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करने वाली नीतियां बनाने और लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आज इस विशेष दिवस पर हम यह शपथ लें कि हम मिलकर कार्य करेंगे और पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को वास्तव में विश्वस्तरीय बनाएंगे।

20 जून, 2014

सुषमा स्वराज
(सुषमा स्वराज)